



फॉर्म DA 3

बैंक जमाओं के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45ZA और बैंकिंग कंपनियाँ (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(6) के अंतर्गत नामांकन में परिवर्तन

मैं / हम

ग्राहक/ ग्राहकों के नाम	पता

मेरे/ हमारे द्वारा पूर्व में किया गया निम्नलिखित नामांकन रद्द करता / करते हैं:

नाम एवं पता	जमाकर्ता से संबंध (यदि कोई हो)	आयु

और निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता / करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में नीचे दिए गए विवरण अनुसार जमा राशि लौटाई जा सकती है :

जमा विवरण

जमा का प्रकार	खाता संख्या	अतिरिक्त विवरण (यदि कोई हो)

नामांकित व्यक्ति

नाम एवं पता	जमाकर्ता से संबंध (यदि कोई हो)	आयु	यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो उसकी जन्म तिथि

यदि नामांकित व्यक्ति इस तिथि को अवयस्क है, तो मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (नाम और पता) को मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु के उपरांत नामांकित व्यक्ति की अल्पायु अवस्था के दौरान जमा की राशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त करते हैं।

स्थान:

तिथि:

*जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

साक्षीगण :***

1.हस्ताक्षर नाम: पता: स्थान: तिथि:	2.हस्ताक्षर नाम: पता: स्थान: तिथि:
---	---

टिप्पणियाँ: यदि जमा अवयस्क के नाम पर किया गया है, तो नामांकन को रद्द करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जो विधिक रूप से उसके पक्ष में कार्य करने के लिए अधिकृत है।

*** अंगूठे के निशान को दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क न हो तो इसे काट दें।

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

नामांकन परिवर्तन पंजीयन क्र.: पंजीयन तिथि.:

नामांकन दर्जकर्ता के हस्ताक्षर: शाखा प्रबंधक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: